**न्यायालय मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर नागौर**
**पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.**

## भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना संख्या–58/2017

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. गंगाविशन पुत्र चुतराराम<br>2. मदनलाल पुत्र चुतराराम<br>समस्त जाति माली निवासीगण बास हिलासर ताउसर तहसील व जिला नागौर | | 1. भारत संघ जरिये सचिव सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।<br>2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।<br>3. प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर ।<br>4. परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड नागौर। |

उपस्थित–

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री महेन्द्र कुमार शर्मा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा ।

आदेश दिनांकः 23-11-17

1– प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के कि.मी. 166/260 से कि.मी. 226/400 तक के भूखण्ड (नागौर–जोधपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/ दो लेन/चार लेन बनाने आदि ) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3छ:(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 एवं संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1997 सपठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2017 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का मध्यस्थता प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकील अप्रार्थीगण राजपैरोकार ने प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाने से पूर्व कथन किया की प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति नागौर द्वारा दिनांक 23.05.2016 उक्त अवार्ड के प्रथम पृष्ठ पर धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 6.3.2014 को जारी करना बताया गया है, परन्तु रिकार्ड के अनुसार उक्त अवार्ड के संबंध में धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 04.03.2014 है, जो रिकार्ड के अनुसार भी सही है।

प्रार्थी के प्रकरण में इसी अवार्ड दिनांक 23.05.2016 जिसकी धारा 3ए की अधिसूचना का दिनांक 04.03.2014 को जारी की गई है, में मुआवजा का निर्धारण किया गया है। जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2016 को पारित अवार्ड जिसकी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.02.2015 को जारी की गई है, उक्त अवार्ड की प्रमाणित प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है एवं मुआवजा निर्धारण प्रपत्र अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के सन्दर्भ में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 को जारी की गई है, का प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.05.2016 को पारित अवार्ड जिसकी धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.02.2015 को जारी की गई है, उक्त अवार्ड की प्रमाणित प्रति अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है, जो गलत है। परन्तु मुआवजा निर्धारण प्रपत्र अवार्ड दिनांक

कलक्टर, नागौर

23.05.2016 के सन्दर्भ में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 को जारी की गई है, का प्रस्तुत किया है, जो सही है।

वकील प्रार्थी ने उक्त संबंध में कथन किया की प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा दिनांक 23.05.2016 को दो अवार्ड पारित किये गये थे। जिसमें प्रथम अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के संबंध में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 को जारी की गई है एवं द्वितीय अवार्ड दिनांक 23.05.2016 के संबंध में धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 27.02.2015 को जारी की गई है। प्रार्थी द्वारा दोनों अवार्ड एक ही तारीख को जारी होने से सहवन से प्रार्थी के प्रकरण में उक्त द्वितीय अवार्ड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी गई है, परन्तु प्रार्थी द्वारा मुआवजा निर्धारण का प्रपत्र प्रथम अवार्ड के अनुसार पेश किया गये जाने का कथन करते हुऐ प्रार्थी के प्रकरण में न्याय हित में प्रथम अवार्ड दिनांक 23.05.2016 अनुसार सुनवाई करने का अनुरोध किया।

राजपैरोकार द्वारा उक्त संबंध में मूल रिकार्ड अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजपैरोकार द्वारा किये गये कथन रिकार्ड के अनुसार सही है। न्यायहित में प्रकरण की मैरिट पर सुनवाई की गई।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि–

2(1)– अप्रार्थीगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 ( नागौर–जोधपुर सेक्शन ) के निर्माण चौडा करने, दो लेन/चार लेन बनाने आदि के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए भूमि अवाप्ति हेतु अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन किया गया व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन किया गया, जिसके तहत अप्रार्थी संख्या–3 के द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गई व आपतियां आमंत्रित की गई जिसमें प्रार्थीगण के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 50/1 रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा मौजा ढूढ़ीवास में से 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि को अवाप्त करने हेतु विज्ञपति नहीं होते हुऐ भी उक्त भूमि में से भूमि अवाप्त की गई व प्रार्थीगण के नाम से धारा 3छ के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा कोई अवार्ड पारित नहीं किया। उक्त अधिसूचना में खसरा नम्बर 50 में से 1.0023 हैक्टर भूमि अवाप्त करने की विज्ञप्ति जारी की गई व उसी के संबंध में अवार्ड की राशि 8,80,230/–रूपये निर्धारित करते हुए अवार्ड दिनांक 23.5.2016 को पारित कर दिया व प्रार्थीगण को किसी प्रकार की राशि मुआवजा हेतु निर्धारित बिना ही व बिना अवाप्ति विज्ञप्ति जारी किये व बिना अवार्ड पारित किये प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 50/1 का रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा अवाप्त कर ली गई, जिसका नामान्तरकरण दिनांक 18.12.2016 को भरा गया। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने दिनांक 1.9.2016 को आवेदन पेश करते हुए मुआवजा राशि प्रार्थीगण को दिलवाने व उनके नाम से अवार्ड जारी करने का निवेदन किया गया साथ ही भरे गये नामान्तकरण की खतौनी व ट्रेस नक्शा की प्रति उपलब्ध करवायी गई परन्तु प्रार्थीगण के नाम से कोई अवार्ड पारित नहीं किया गया इसलिए उक्त अवार्ड को प्रार्थीगण स्वीकार नहीं करते है। मुआवजा निर्धारण में अवाप्ति में ग्रसित सम्पति के मेजरमेन्ट, लेण्ड वेल्यू, मुआवजा प्राप्त करने के हितदायी व्यक्ति के निर्धारण एवं मुआवजा के निर्धारण बाबत अवाप्ति में ग्रसित भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स, पेड़ पौधे, दीवार आदि के मुआवजे का सही निर्धारण न किये जाने के कारण प्रार्थीगण ने रकम स्वीकार नहीं की है।

2(2)– प्रार्थीगण की ग्राम ढूढ़ीवास के खसरा नम्बर 50/1 में से 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि को अवाप्त किया गया अवाप्ति कार्यवाही किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण को कोई नोटिस प्रेषित नहीं किया गया, प्रभावित व्यक्तियों ने आपत्ति प्रस्तुत की है, का गलत रूप से अंकन करते हुए केवल मात्र प्रावधानों की खानापूर्ति की गई है। अवाप्ति अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए था, तत्पश्चात साक्ष्य सबूत का अवलोकन पश्चात उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

कलक्टर, नागौर

2(3)– राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 3छ(1)व(2) के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण करने से पूर्व धारा 3छ(3) के प्रावधानों की हस्तगत प्रकरण में पालना नहीं की गई है तथा मुआवजा निर्धारण आदेश प्रार्थीगण से बिना क्लेम आमन्त्रित किये एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जिससे प्रार्थीगण अपना क्लेम, क्लेम निर्धारण से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर पाये और उक्त कारण से अपने अधिकारों से वंचित रहा है।

2(4)– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा डीएलसी रिपोर्ट प्राप्त कर उसी के आधार पर एवार्ड पारित किया है। जबकि अवाप्ति की कार्यवाही में अवार्ड का निर्धारण विधि अनुसार भूमि के बाजार दर के आधार पर किया जाना आवश्यक है। डीएलसी रेट केवल मात्र राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की गणना हेतु ही मान्य है। डीएलसी रेट के आधार पर सम्पति का बाजार मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी को अवाप्त की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य सबूत लेकर व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर बाजार मूल्य का निर्धारण किया जाकर उसी आधार पर अवार्ड का निर्धारण करना आवश्यक था। भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी डीएलसी के आधार पर मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, बल्कि बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना आवश्यक था, फिर भी अवाप्ति अधिकारी ने विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर गलत अवार्ड पारित किया है।

2(5)– प्रार्थीगण की उक्त भूमि में टयूबवेल स्थित है, जिस पर बिजली का कनेक्शन प्रार्थी मदनलाल के नाम से लिया हुआ है तथा भूमि सिंचित है तथा टयूबवेल को भी अवाप्त कर लिया गया है, जबकि सिंचित भूमि एवं टयूबवेल के संबंध में किसी प्रकार का कोई मुआवजा का निर्धारण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण ने दिनांक 1.9.2016 को आवेदन पेश किया जिसके आधार पर अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमें तहसीलदार मूण्डवा पटवारी हल्का फिड़ोद की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित है कि जो भूमि अवाप्त की गई है, में टयूबवेल भी आ चुकी है, जो वर्तमान में चालू अवस्था में है तथा प्रार्थीगण हितबद्ध खातेदार है, जिनके नाम से मुआवजा का निर्धारण किया जाना आवश्यक था, जो रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बावजूद भी प्रार्थीगण के नाम से कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया है व न ही प्रार्थीगण के नाम से कोई अवार्ड ही पारित किया गया है। भूमि जसवन्तगढ़ की सीमा में आवासीय रूपान्तरित भूमि है, जो अरबन एरिया से चिपते हुए आई हुई है तथा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ होने के कारण आवासीय प्रयोजनार्थ प्रचलित बाजार दर के आधार पर भूमि का मुआवजा तय किया जाना आवश्यक था, परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 ने डीएलसी रेट प्रति हेक्टर के आधार पर मुआवजे का निर्धारण गलत रूप से किया गया है। भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी होने के कारण उन सभी मापदण्डों को उपयोग में लेना चाहिए था जिनको कि सम्पति के विक्रय के समय पंजीयन के दौरान काम में लिया जाता है तथा उसी अनुसार व्यवसायिक दर के आधार पर भूमि व्यवसायिक मानकर मुआवजे का निर्धारण किया जाना आवश्यक था।

2(6)– ग्राम ढूढ़ीवास नगर परिषद नागौर की पेराफेरी क्षेत्र में स्थित है इसलिए मुआवजा का निर्धारण नागौर नगरपरिषद में दर्ज भूमि के अनुसार किया जाना आवश्यक था साथ ही भूमि में पेड़ों व अन्य संरचना के संबंध में किसी प्रकार का निर्धारण नहीं किये जाने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार कर अवार्ड दिनांक 23.5.2016 को अपास्त करते हुए प्रार्थीगण को अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दिलवाये जाने व टयूबवेल बिजली कनेक्शन व सिंचित भूमि का बाजार मूल्य के अनुसार पुनः युक्तिसंगत मुआवजे का निर्धारण करते हुए नया अवार्ड आदेश पारित करने व प्रार्थीगण को मुआवजा राशि मय 18 प्रतिशत ब्याज के दिलाये जाने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

3–वकील अप्रार्थीगण राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थीगण की बहस का विरोध करते हुवे अप्रार्थीगण की और से प्रस्तुत जबाब में किये गये कथनों को दौहराते हुए कथन किया कि–

कलक्टर, नागौर

**3(1)**–राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 के नागौर–बाईपास निर्माण हेतु अत्यावश्यक भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के तहत जारी की गई। जिसके द्वारा ग्राम ढुढीवास के खसरा संख्याः 50 में से 1.0023 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई। जिसके लिए सक्षम भूमि अवाप्ति द्वारा रूपये 8,80,230/– का अवार्ड दिनांक 23.05.2016 को पारित किया जा चुका है। ग्राम ढुढीवास के खसरा संख्या–50 के मालिक चुतराराम माली के पुत्रों के बीच बंटवारा करके खसरा संख्या 50 एवं 50/1 दो खसरे राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सड़क के एलाईन्मेंट के अनुसार वास्तव में खसरा संख्या–50/1 की 1.0023 हैक्टयर भूमि अधिग्रहित की गई है। चुतराराम के पुत्र पापालाल एवं पन्नालाल के हिस्से में खसरा नम्बर–50 है, जबकि दूसरे पुत्र गंगाविशन, मदनलाल के हिस्से में खसरा नम्बर 50/1 है। अधिग्रहण हेतु उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर–50 ही दर्ज था, तदनुसार सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मूल खसरा नम्बर 50 के राजस्व रेकार्ड में दर्ज नामों के अनुसार पापालाल व पन्नालाल के नाम से मुआवजे का अवार्ड पारित किया गया है। इससे व्यथित होकर चुतराराम के दूसरे पुत्र गंगाविशन व मदनलाल ने उक्त अवार्ड को मानने से इंकार किया है और माध्यस्थम के द्वारा सही हकदार के पक्ष में हक का निर्धारण करके विधिसम्मत तरीके से प्रार्थी के नाम अवार्ड पारित करके भुगतान हेतु आवेदन किया है।

**3(2)**–प्रार्थीगण खसरा संख्या–50/1 मौजा ढुढीवास के काबिज स्वामी एवं काश्तकार है। इस खसरे में से जो मूल खसरा 50 का ही भाग है के 1.0023 हैक्टयर भूमि को नागौर–बाईपास हेतु अवाप्त किया गया है। खसरा संख्या–50 के कब्जाधारी स्वामी चुतराराम के पुत्र पापालाल व पन्नालाल के नाम से भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(डी) के तहत अधिसूचना जारी हुई है। चुतराराम जी के दूसरे पुत्र गंगाविशन व मदनलाल के नाम खसरा संख्या–50/1 की अधिसूचना जारी नही हुई है। परन्तु क्योंकि मूल संख्या–50 का ही नया खसरा 50/1 भाग है, इसलिए अलग से अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः भूमि अधिग्रहण की जारी की गई अधिसूचना अविधिपूर्ण नहीं है। क्योंकि रोड़ के एलाईन्मेंट निर्धारण में कोई संशोधन नहीं हुआ है और इस खसरा संख्या 50/1 मे से ही रोड़ निर्माण प्रस्तावित था एवं अभी सड़क निर्माण प्रगति पर है। अतः मूल खसरा संख्या–50 के कब्जाधारी स्वामियों से अनापत्ति/सहमति लेकर पारित किये गये अवार्ड में नाम का संशोधन करके खसरा संख्या–50/1 के स्वामी जिनकी भूमि वास्तव में अधिग्रहित की गई है। गंगाविशन व मदनलाल के नाम का एवार्ड पारित करके भुगतान किया जाना विधि विरूद्ध प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार कार्यवाही की जानी अनुचित नहीं है।

**3(3)**–भूमि अवाप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 3(डी) के तहत जो आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। उनमें प्राप्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार किया गया था। हालांकी प्रार्थी को आपत्तिये प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला था। परन्तु खसरा संख्या–50 के स्वामियों की आपत्तियों का सुनवाई उपरान्त निस्तारण किया गया था। खसरा संख्या–50 और 50/1 की प्रकृति में किसी प्रकार की भिन्नता व अन्तर नहीं है। फिर भी अवार्ड में नाम संशोधन के पहले प्रार्थी की आपत्तियों को भी सुना जा सकता है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार उचित ही होगा। प्रार्थीगण को अवार्ड में नाम संशोधन से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना अनुचित नहीं है।

**3(4)**–राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 छ(3) की पूर्ण पालना की जाकर ही भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा का अवार्ड पारित किया गया था। मूल खसरा संख्या–50 के मालिक को समस्त नोटिस/सूचनाऐं दी हुई है। खसरा संख्या–50/1 इसी का भाग है इसलिए अवार्ड में मात्र नाम संशोधन ही करना है। संशोधन से पूर्व समुचित सूचनाऐं प्रार्थी की दी जा सकती है और उसकी कोई आपत्तियां हो तो सुनवाई उपरान्त निस्तारण किया जा सकता है। पारित अवार्ड को अपास्त किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

कलक्टर, नागौर

**3(5)**–हस्तगत प्रकरण में पारित किया गया अवार्ड स्थानीय मार्केट रेट के अनुसार उचित दरों का निर्धारण सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार किया जाने के पश्चात सही है। मुआवजा निर्धारण के लिए बनाये गये आधार की व्याख्या अवार्ड में उल्लेखित है, जो पूर्णतया नियमानुसार है। इसलिए इसी के अनुसार भुगतान किया जाना अनुचित नहीं है।

**3(6)**–प्रार्थीगण की खसरा संख्या–50/1 की भूमि सिंचित है तथा इसमें स्थित नलकूप भी अधिग्रहित भूमि में शामिल है। इसलिए तथ्य प्रमाणित एवं सही पाया जावे तो माध्यस्थम द्वारा

नागौर (राजस्थान)

सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी को सही अवार्ड पारित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

**4**–वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा मूल रिकार्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जो बाद अवलोकन मूल रिकार्ड राजपैरोकार को लौटाया गया।

**5**– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या–65 के 166/260 कि.मी. से 226/400 कि.मी. तक के भूखण्ड (नागौर–जोधपुर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन/चार लेन बनाने आदि) में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना 04.03.2014 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना को स्थानीय दैनिक समाचार पत्र यथा राजस्थान पत्रिका में दिनांक 06.05.2014 व दैनिक भाष्कर में दिनांक 07.04.2014 को प्रकाशन करवाकर हितबद्धधारियों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर आप्तियां/आक्षेप आमंत्रित किये गये। उक्त संबंध में प्राप्त आपत्तियां उचित/ठोस आधरों पर नहीं होने से सभी आपत्तियों को अस्वीकार किया गया एवं प्रकरण में उक्त प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति के संबंध में कार्यवाही करते हुए प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा अवाप्त शुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3जी के तहत अवार्ड दिनांक 23.05.2016 को अवार्ड पारित किया गया।

**5(1)**–उक्त अवार्ड दिनांक 23.5.2016 के कम संख्या–109 पर अंकितानुसार ग्राम ढूडीवास के खसरा संख्या–50 में से 1.0023 हैक्टर भूमि किस्म भूमि टयूबवेल बारानी–3 अवाप्तशुदा उक्त भूमि, भूमि पर स्थित संरचना/टयूबवेल,पैड़,ब्याज व अन्य देय लाभों सहित कुल 8,80,230/–रूपये के मुआवजे का निर्धारण कर पन्नालाल, पापालाल पी0 चुतराराम माली साकिन ताउसर बास हिलासर खातेदार के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा उक्त अवार्ड पारित किया गया है।

**5(2)**–उक्त अवार्ड दिनांक 23.05.2015 के विरूद्ध प्रार्थीगण गंगाविशन व मदनलाल द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ग्राम ढूडीवास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 50/1 में से 6 बीघा 4 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है, जिसमें टयूबवेल व बिजली का कनेक्शन भी था एवं पेड़ व संरचना स्थित थी, जिसके संबंध में सक्षम प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर ने ग्राम ढुढीवास के खसरा नम्बर 50 के खातेदार पन्नालाल, पापालाल पी0 चुतराराम माली साकिन ताउसर बास हिलासर के पक्ष में मुआवजा का निर्धारण कर उक्त अवार्ड पारित कर दिया जबकि हस्तगत प्रकरण में जो भूमि अवाप्त कर मुआवजा का निर्धारण किया गया है वह ग्राम ढूडीवास के खसरा नम्बर 50/1 में से अवाप्त की गई है, जो भूमि प्रार्थीगण गंगाविशन व मदनलाल की भूमि है। उक्त संबंध में प्रार्थीगण गंगाविशन व मदनलाल द्वारा दिनांक 1.9.2016 को भूमि अवाप्ति प्राधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त खसरा नम्बर 51/1 में से अवाप्त की गई भूमि व उसमें स्थित टयूबवेल व पेड़ आदि का मुआवजा प्रार्थीगण को दिलवाने हेतु निवेदन किया गया है, जिसके कम में तहसीलदार मूण्डवा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 8.3.2017 मय मौका रिपोर्ट पटवारी फिड़ोद के अनुसार मौजा ढुडीवास के खसरा नम्बर 50/1 रकबा 15.17 बीघा प्रार्थीगण गंगाविशन व मदनलाल की खातेदारी में दर्ज है लेकिन मुआवजा सूची में खसरा नम्बर 50 पन्नालाल वगैरह गलत दर्ज हो चुका है तथा खसरा नम्बर 50/1 में से राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नाम नामान्तरकरण संख्या 420 दिनांक 18.12.16 को स्वीकृत हो चुका है। सड़क एवं राजमार्ग के पक्ष में खसरा नम्बर 50/325 रकबा 6.04 बीघा भूमि गैरमु. सड़क दर्ज हो चुकी है। खसरा नम्बर 50/325 में टयूबवेल भी आ चुकी है, जो वर्तमान में चालू स्थिति में है।

कलक्टर, नागौर

**5(3)**–राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने भी उक्त तथ्यों की ताईद करते हुऐ अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण खसरा संख्या–50/1 मौजा ढुढीवास के काबिज स्वामी एवं काश्तकार है। इस खसरे में से जो मूल खसरा 50 का ही भाग है के 1.0023 हैक्टयर भूमि को अवाप्त किया गया है। खसरा संख्या–50/1 के स्वामी जिनकी भूमि वास्तव में अधिग्रहित की गई है। गंगाविशन व मदनलाल के नाम का एवार्ड पारित करके भुगतान किया जाना विधि विरूद्ध प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार कार्यवाही की जानी अनुचित नहीं है। अवार्ड में नाम संशोधन के पहले प्रार्थीगण की आपत्तियों को भी सुना जा सकता है। प्रार्थीगण की खसरा संख्या–50/1 की भूमि सिंचित है तथा इसमें स्थित नलकूप भी अधिग्रहित भूमि में शामिल है। इसलिए तथ्य प्रमाणित एवं सही पाया जावे तो माध्यस्थम द्वारा सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी को सही अवार्ड पारित करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

**5(4)**–उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में ग्राम ढूडीवास के खसरा नम्बर 50 में से भूमि अवाप्त नहीं की जाकर ग्राम ढूडीवास के खसरा नम्बर 50/1 में से 6.04 बीघा भूमि अवाप्त की गई, जो भूमि प्रार्थीगण की है, जबकि उक्त अवाप्त शुदा भूमि के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा अपने अवार्ड दिनांक 23.05.2016 की कम संख्या–109 पर मुआवजा का निर्धारण पापालाल व पन्नालाल के पक्ष में निर्धारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

**6**–अतः प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर को ग्राम ढूडीवास के संबंध में उनके पारित अवार्ड दिनांक 23.05.2016 की कम संख्या–109 पर निर्धारित किये गये मुआवजे के संबंध में संबंधित को नियमान्तर्गत साक्ष्य सबूत एवं समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधि अनुसार यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। प्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वह अपने ऐतराज के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर के समक्ष यथाशीघ्र उपस्थित होकर कार्यवाही करें। आदेश की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त कलक्टर नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

**7**–आदेश सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर, नागौर